

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री ललित कुमार शर्मा, उप-प्रधानाचार्य, (समकक्ष प्रधानाचार्य-राउमावि) जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, पूगल मार्ग (DIET) बीकानेर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकमपुर, कोलायत जिला बीकानेर किया गया था जिसके विरुद्ध श्री ललित कुमार शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 676/2021 ललित कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 676/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 29.01.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में चार सप्ताह तक स्थगित किया गया है।

श्री ललित कुमार शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना समायोजन राउमावि कुजटी, लूनकरणसर जिला बीकानेर अथवा राबाउमावि जसरासर जिला बीकानेर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किये जाने का निवेदन किया गया। श्री शर्मा के उक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका अन्तरिम समायोजन राउमावि कुजटी, लूनकरणसर जिला बीकानेर में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाता है। उक्त समायोजन माननीय अधिकरण द्वारा अपील संख्या 676/2021 में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/ललित शर्मा/676/2021 दिनांक: 02/02/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, बीकानेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)